

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय जल आयोग के निम्नलिखित कनिष्ठ सचिवालय सहायक, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, सहायक अनुभाग अधिकारी, स्टेनो उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों को आवती एवं निर्गम अनुभाग में रात्रिकालीन/सामान्य ड्यूटी पर रहेंगे :-

रात्रिकालीन ड्यूटी

सं.	नाम (श्री/सर्वश्री)	पदनाम	तैनाती का स्थान लेखा-1 अनुभाग	दिनांक
1.	सदीप गुप्ता 8804261957	सहायक अनुभाग अधिकारी	लेखा-1 अनुभाग	2.2.2020
2.	विजय कुमार शर्मा 9718545484	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	बजट अनुभाग	3.2.2020
3.	परवेश तैन्नुरिया 9990529229	सहायक अनुभाग अधिकारी	लेखा-तीन अनुभाग	4.2.2020
4.	रामानंद 9650989385	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	स्था0-7 अनुभाग	5.2.2020
5.	दिनेश 9555176613	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	पी.एम.के.एस.वाई. (ए आई बी पी)	6.2.2020
6.	रघुबीर सिंह 9953032302	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	प्रशिक्षण निदेशालय	7.2.2020
7.	बलबीर सिंह राणा 9868933629	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	स्था0-12 अनुभाग	8.2.2020
8.	देवेन्दर प्रसाद 8750590330	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	स्था0-2 अनुभाग	9.2.2020
9.	दिनेश चंद्र 9953896403	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	निदेशक(प्रशासन)	10.2.2020
10.	रामानंद 9650989385	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	स्था0-7 अनुभाग	11.2.2020
11.	उत्तम चंद 9560262720	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	एफ.एम.पी	12.2.2020
12.	जगदीश सिंह 9899335478	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	स्थापना-तीन अनुभाग	13.2.2020
13.	अशोक कुमार 9810529318	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	Library & Information Bureau	14.2.2020
14.	विजय कुमार शर्मा 9718545484	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	बजट अनुभाग	15.2.2020
15.	दिनेश 9555176613	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	पी.एम.के.एस.वाई. (ए आई बी पी)	16.2.2020
16.	तेज पाल सिंह 9013044214	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	यंत्रीकरण निदेशालय	17.2.2020
17.	परवेश तैन्नुरिया 9990529229	सहायक अनुभाग अधिकारी	लेखा-तीन अनुभाग	18.2.2020
18.	बलबीर सिंह राणा 9868933629	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	स्था0-12 अनुभाग	19.2.2020
19.	उत्तम चंद 9560262720	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	एफ.एम.पी	20.2.2020
20.	रघुबीर सिंह 9953032302	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	प्रशिक्षण निदेशालय	21.2.2020
21.	अशोक कुमार 9810529318	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	Library & Information Bureau	22.2.2020

22.	दिनेश चद्र 9953896403	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	निदेशक(प्रशासन)	23.2.2020
23.	तेज पाल सिंह 9013044214	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	यंत्रीकरण निदेशालय	24.2.2020
24.	देवेन्द्र प्रसाद 8750590330	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	स्था0-2 अनुभाग	25.2.2020
25.	सदीप गुप्ता 8804261957	सहायक अनुभाग अधिकारी	लेखा-1 अनुभाग	26.2.2020
26.	जगदीश सिंह 9899335478	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	स्थापना-तीन अनुभाग	27.2.2020

सामान्य ड्यूटी

1.	राम सिंह 7982965121	स्टेनो डी	प्रशिक्षण निदेशालय	1.2.2020
2.	रार्केश कुमार 9268604386	सहायक अनुभाग अधिकारी	स्थापना- 8 अनुभाग	2.2.2020
3.	पीयूष उपाध्याय 9555469437	सहायक अनुभाग अधिकारी	स्था0-9 अनुभाग	8.2.2020
4.	रार्केश कुमार 9268604386	सहायक अनुभाग अधिकारी	स्थापना- 8 अनुभाग	9.2.2020
5.	राम सिंह 7982965121	स्टेनो डी	प्रशिक्षण निदेशालय	15.2.2020
6.	आनंद रंजन कुमार 8851269476	सहायक अनुभाग अधिकारी	स्था0 -9 अनुभाग	16.2.2020
7.	राम सिंह 7982965121	स्टेनो डी	प्रशिक्षण निदेशालय	22.2.2020
8.	आनंद रंजन कुमार 8851269476	सहायक अनुभाग अधिकारी	स्था0 -9 अनुभाग	23.2.2020
9.	पीयूष उपाध्याय 9555469437	सहायक अनुभाग अधिकारी	स्था0-9 अनुभाग	29.2.2020

2. रात्रिकालीन ड्यूटी का समय सायं 6.00 बजे से अगली सुबह 9.30 बजे तक (15 घंटे 30 मिनट) और सामान्य ड्यूटी का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक माना जायेगा। उपर्युक्त कर्मचारी/अधिकारी अपनी ड्यूटी से एक कार्यदिवस पहले अनुभाग अधिकारी, आवती एवं निर्गम अनुभाग से संपर्क करेंगे। रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी समयोपरिभत्ते के 50% के बराबर रात्रि ड्यूटी भत्ते के हकदार होंगे। एक दिन का रात्रि ड्यूटी भत्ता अधिकतम तीन घंटे के समयोपरिभत्ते तक सीमित होगा तथा एक माह में 59 घंटों से अधिक नहीं होगा। शनिवार, रविवार व अन्य राजपत्रित छुट्टी को प्रारंभ हुई रात्रिकालीन ड्यूटी/सामान्य ड्यूटी के एवज में कर्मचारी प्रतिपूरक छुट्टी के हकदार होंगे, जो हकदारी प्रारंभ होने के एक माह के भीतर प्रयोग करने होंगे। ड्यूटी में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि किसी वरिष्ठ सचिवालय सहायक /कनिष्ठ सचिवालय सहायक को छुट्टी-यात्रा-भत्ता/अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है तो वर्तमान आदेश, सरकारी कर्मचारी के स्वयं के मामले में, उन आदेशों के अधिकरण में जारी किया हुआ माना जायेगा व ऐसे अवकाश को अस्वीकृत माना जायेगा। इस आदेश की अवहेलना पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3. सभी संबंधित कर्मचारियों के संज्ञान में लाया जाता है कि भविष्य में यदि कोई भी कर्मचारी उचित सूचना एवं बिना पूर्व अनुमति के सामान्य ड्यूटी अथवा रात्रिकालीन ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसका उस दिन का वेतन बिना पूर्व सूचना के काट लिया जायेगा।


(ज्योत्स्ना कपूर)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. अनुभाग अधिकारी, आवती एवं निर्गम अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी (प्रतियां)
3. संबंधित कर्मचारी (प्रतियां)/सूचना-पट्ट।


20/1/2020